

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.शि.) श्रीगंगानगर

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता-अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प 18 (1) शिक्षा - 5/2001 दिनांक 25.09.01 एवं पत्रांक प 15 (21) प्रा.शि./2001 दिनांक 18.01.02 के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, रापथ पत्र के आधार पर सत्र 2002-2003 से नाम के सम्मुख अंकित स्तर एवं मान्यता दी गिनी शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता नियमों एवं विभागीय निर्देशों की वाक्यांश न करने पर मान्यता कभी भी निरस्त की जा सकती है।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर	माध्यम
---------	---------------------	--------------	--------

1- फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल,
ली-22 प्रेमनगर, श्रीगंगानगर

उच्च प्राथमिक

अंग्रेजी माध्यम

शर्तें :-

1. कक्षा - कक्षा के अनुरूप प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जावें।
2. मान्यता नियम 1993 के परिशिष्ट-2 में वर्णित सभी शर्तों की पूर्ति की जावे।
3. विद्यालय पूर्णतया सुरक्षित भवन में संचालित किया जावे।
4. कक्षा 1 से 5 तक 75 छात्र तथा कक्षा 6 से 8 तक 45 छात्र होने आवश्यक है।
5. उच्च स्तर के विद्यालयों में शा.शिक्षक व च.श्रे. कर्मचारी नियुक्त किये जावें।
6. संस्था को जिस स्थान हेतु मान्यता दी गई है, उसी स्थान पर ही संचालित की जावे, अन्यत्र कोई शाखा आदि न खोली जावे।
7. संस्था में एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें, जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित हों, ही लागू की जावें।
8. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम ही लागू किया जाएगा।

फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल समिति
सचिव

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रारं. शि.) श्रीगंगानगर।

दिनांक 9/5/02

प्रतिलिपि :-

1. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर
2. व्यवस्थापक, फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल, ली-22 प्रेमनगर, श्रीगंगानगर

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रारं. शि.) श्रीगंगानगर।